कार्यालय न्यायाधीष कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर चांपा

विज्ञापन

क्रमांक   /दो–11–4/11   जांजगीर दिनांक 30.11.2011

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 30.01.2012 संध्या 5.00 बजे तक

कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर चांपा स्थापना में सहायक ग्रेड–तीन के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं । रिक्त पद एवं आरक्षण स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	रिक्त पदों का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित पद				आरक्षित पद											
							अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग			
			पुरूष	महिला	भूत. सैनिक	विकलांग	पुरूष	महिला	भूत. सैनिक	विकलांग	पुरूष	महिला	भूत. सैनिक	विकलांग	पुरूष	महिला	भूत. सैनिक	विकलांग
1	सहायकग्रेड तीन	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	योग	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

भर्ती की पात्रता एवं शर्ते

अ– वेतनमान – वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200/– ग्रेड वेतन रूपये 1900/–

ब– शैक्षणिक योग्यता–

1. किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिषत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
2. छ.ग. या म.प्र. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
3. किसी विष्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDCA) उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।

महत्वपूर्ण – यह सुनिष्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करतें हैं । अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें । परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया हैं । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जाएगी ।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं । मध्यप्रदेष सहित अन्य प्रदेषों के मूल निवासी ऐसे आवेदक, जो अपने मूल निवासी के राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रूप में मान्य हों, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीद्वारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीद्वारों की तुलना में विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं ।

आयु सीमा एवं शर्ते

(1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी) ।

(2) दिनांक 1 जनवरी 2012 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, परन्तु अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष एवं छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी न की हों।

(अ) कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा ।

(ब) कोई भी उम्मीद्वार, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, किन्तु कोई भी उम्मीद्वार जिसकी पहले से एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पष्चात हो जिसमे दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(3) उच्चतम आयु सीमा में छूटः–

3(एक)(1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति का हैं, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

3(एक)(2)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी /वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी । यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।

3(एक)(3)– ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः– छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

3(एक)(4)–ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(एक)(5)–सामान्य प्रषासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 1–2/2002/1/3 दिनांक 06.06.2004 के अनुसार षिक्षाकर्मी को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष षिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गो को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा हैं, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /विधवा / परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देष से प्रभावित नहीं होंगे ।

3(एक)(6)–स्वंय सेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेंगी, किन्तु किसी भी दषा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

3(दो)(1)–परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।

3(दो)(2)–आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रसासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी.3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के सन्दर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

3(दो)(3)–विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रषासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी.3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के सन्दर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

टीपः–(1)–बिंदु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी ।

(2) बिन्दु क्रमांक 3 (दो) के अन्तर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अन्तर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता हैं तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी । यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विषेष छूट के अतिरिक्त होगी ।

उदाहरणः– यदि कोई आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के साथ साथ ग्रीन कार्ड धारी तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हों तो उसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5वर्ष की छूट के साथ ग्रीन कार्ड धारकों के लिए 2 वर्ष की और अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा । अतः विक्रम पुरस्कार तथा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छुट नहीं दी जायेगी ।

(3) उपरोक्त 3(एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

प्रथम भाग – लिखित परीक्षा

कार्यालय न्यायाधीष, कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर–चांपा द्वारा एक स्वतंत्र लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 25 अंको का एक प्रष्न पत्र होगा, जिसके सभी 25 प्रष्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रष्न के उत्तर में चार विकल्प दिए गए होंगे, जिनमें से केवल एक विकल्प सही होगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रष्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि कुल आधे घंटे की होगी ।

द्वितीय भाग – प्रायोगिक परीक्षा (दक्षता /कौषल परीक्षा)

लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट क्रम के अनुसार रिक्त पद के तीन गुना उम्मीद्वारों को हिन्दी मुद्रलेखन और कम्प्यूटर की प्रायोगिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा । दो उम्मीद्वारों द्वारा समान अंक अर्जित करने की दषा में प्रथमतः अधिक आयु वर्ग वाले को वरियता दी जावेगी,, यदि आयु भी समान होगी, तो प्रथम भाग लिखित परीक्षा, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरिष्ठता दी जाएगी । हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा के लिए न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेषन दिया जाएगा, जिसे षुद्धता से निर्धारित समय सीमा में टाईप करना होगा लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर चयन हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ।

प्रायोगिक कौषल परीक्षा के अंक

01 टायपिंग – 25 अंक
02 कम्प्युटर – 25 अंक

प्रायोगिक परीक्षा (हिन्दी मुद्रलेखन एवं कम्प्यूटर आपरेटिंग) में अनुपस्थित रहने पर आवेदक को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा, भले ही लिखित परीक्षा में उनके प्राप्तांक चयनित अंतिम उम्मीदवार, जो दोनो लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में बैठा हो, से अधिक क्यों न हों । उपरोक्त दोनों परीक्षा (लिखित परीक्षा प्रायोगिक परीक्षा) में प्राप्तांको के आधार पर योग्य उम्मीदवारो की अलग से प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी,, परंतु ऐंसे उम्मीद्वारो का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक की नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद, जो आवष्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि उम्मीद्वार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से येाग्य हैं ।

चयन प्रकिया

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पद के तीन गुना तक अभ्यर्थी प्रायोगिक कौषल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगे इसमें न्यूनतम अंक पाने वाले एक से अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में यह संख्या तीन गुना से अधिक भी हो सकती हैं । लिखित परीक्षा तथा प्रायोगिक कौषल परीक्षा में प्राप्तांको को जोड़कर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी और माननीय उच्च न्यायालय से अनुमोदन पश्चात उक्त सूची के अनुसार न्यायाधीष, कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर चांपा के द्वारा नियुक्ति आदेष जारी किया जाएगा । उपरोक्त पदों पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी , जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी ।

समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी,, जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी, अर्थात जो उम्र में बड़े होंगे उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी ।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया

1– आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे । पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2012 की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद **सहायक ग्रेड तीन के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र** लिखा हो, न्यायाधीष, कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर चांपा (छ.ग.) के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जा सकते हैं । निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवष्यक होगा ।

2– जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवष्यक हैं ।

3– ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्ध्दषासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख का उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवष्यक होगा ।

4– आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूरा नाम एवं पता लिखे हुए दो लिफाफे प्रत्येक पर 5/– की डाक टिकट चस्पा करते हुये आवष्यक रूप से संलग्न करें ।

शर्तें

1 चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार न्यायाधीष, कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर चांपा का होगा ।

2. भर्ती प्रकिया के दौरान किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने के लिए कार्यालय प्रमुख के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

3. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना आवष्यक होगा ।

4. चयनित उम्मीदवार को, उसके पूर्ववृत्त का पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य का आरोग्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीद्वार के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालनालय आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रषिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से किए जाने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा ।

5. चयनित उम्मीद्वार की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी ।
6. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी रहेगी अतएव षतों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।
7. चयन प्रकिया के संबंध में न्यायाधीष, कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर का निष्कर्ष अंतिम होगा।
8. यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी । त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
9. जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा, उसकी उम्मीद्वारी निरस्त कर दी जाएगी।
10. जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाए जायेंगें, उन्हें लिखित परीक्षा, प्रायोगिक कौषल परीक्षा हेतु सूचना उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये डाक लिफाफा के माध्यम से जारी किए जाएंगे। उपयुक्त पाए गए तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीद्वारो की पृथक–पृथक सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर यथाषीघ्र चस्पा कर दी जावेगी।
11. लिखित परीक्षा/प्रायोगिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर उपस्थित रहना होगा उन्हें आने जाने का किसी प्रकार का यात्रा व्यय, आहार धन आदि देय नहीं होगा ।
12. हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा हेतु मुद्रलेखन यंत्र की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं करना होगा।

जांजगीर
दिनांक

(ए. एल. जोषी)
न्यायाधीष, कुटुम्ब न्यायालय
जांजगीर चांपा छ.ग.

आवेदन पत्र का प्रारूप

(सहायक ग्रेड–तीन के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,
न्यायाधीष,
कुटुम्ब न्यायालय,
जांजगीर चांपा (छ.ग.)

आवेदक का नवीनतम स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का फोटो

1. आवेदित पद का नाम :..
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :..
   (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :..
3. लिंग –पुरूष संकेतक–1, महिला संकेतक –2
4. पिता/पति का नाम :..
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) ....
   (ब) स्थाई पता ....
   ....
   ....
6. (अ) जन्म तिथि (अंको में)

   शब्दों में ....
   (ब) दिनांक 01/01/2012 को आयु ....वर्ष...............माह..................दिन............
7. .क्या आवेदन छत्तीसगढ़ का मुल निवासी है ? हॉं/नहीं [ ]
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित पति संलन करे)

8. क्या आवेदन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हां /नहीं (हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित पति संलग्न करे)

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

10. क्या आवेदन विकलांग है ? हॉ/नहीं

(यदि हां, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

11. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिषत ....

12. क्या आवेदन भूतपूर्व सैनिक हैं? हॉ/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक

14. रोजगार कार्यालय का नाम ....

15. क्या आप विवाहित हैं ? हॉ/नहीं

16. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि

17. जीवित बच्चों की संख्या

क्र	नाम	लिंग	जन्म तिथि
1	2	3	4

18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताः–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण हाने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिषत
1	2	3	4	5	6	7

19. क्या आवेदक शासकीय/अर्धषासकीय संस्था में सेवारत हैं ? हां/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

20. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विष्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी ।

स्थान

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता